16

ज्ञापांक......618........./पी03
17–05–10/2018

पुलिस महानिदेशक कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 21-06-2019

सेवा में,

सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार।
सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।
पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना।
पुलिस उप–महानिरीक्षक के सहायक (सैन्य पुलिस/प्रशिक्षण), बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित), बिहार।
सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।
सभी समादेष्टा, बिहार।
सभी प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।

प्रसंगः– पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना का ज्ञापांक–460/424229/पी03, दिनांक–15.05.2019

विषयः– सिपाहियों को हिन्दी–टिप्पण प्रारूपण परीक्षा पास करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में कहना है कि मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय की अधिसूचना 15 जून, 1968 की कंडिका 2 एवं 3 में निम्नांकित प्रावधान हैं:–

" 2. चतुर्थवर्गीय सेवक से भिन्न हरेक सरकारी सेवक को, जिसे अपने कर्तव्य संपादन के कम में लिखने पढने की जरूरत पडती है, नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर, देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने–पढने की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, यदि वह हिन्दी के साथ प्रवेशिका परीक्षा में, अथवा हिन्दी की किसी ऐसी परीक्षा में, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रवेशिका परीक्षा के समकक्ष मान्यता मिली हो, उत्तीर्ण नहीं है। इस नियमावली के नियम 3 के अधीन देवनागरी लिपि में हिन्दी–टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके सरकारी सेवक के लिये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।

3. हरेक सरकारी सेवक को, जिसकी नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है, जहां उसे अपने कर्त्तव्य–सम्पादन के क्रम में टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट आदि भी शामिल है, देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा में, उस पद पर नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर, उत्तीर्ण होना होगा। जो सरकारी सेवक सरकारी संकल्प संख्या–13632, दिनांक–11.10.1961 के अधीन विहित और केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित हिन्दी की विभागीय परीक्षा में उच्च या निम्न स्तर से उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके लिये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित न होगा।"

बिहार पुलिस के सिपाहियों के संबंध में बिहार सरकार, गृह विभाग के पत्र संख्या–7225, दिनांक–23.07.2005 के माध्यम से राजभाषा विभाग का परामर्श प्राप्त हुआ था, जो निम्नवत है:–

" राजभाषा विभाग ने परामर्श दिया है कि आरक्षी संवर्ग से प्रोन्नत हवलदार, सिविल जमादार जो प्रवेशिकोत्तीर्ण नहीं हैं और प्रोन्नति पाकर तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं, तो उन्हें हिन्दी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

जहाँ तक आरक्षी और साक्षर आरक्षी जो वर्ग–3 के कर्मचारी घोषित हैं, अगर उन्हें अपने कर्त्तव्य सम्पादन के क्रम में टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट (प्रतिवेदन) आदि भी शामिल है तो ऐसे कर्मियों को बिहार सरकार (हिन्दी परीक्षा) नियमावली 15 जुलाई, 1968 के अनुसार हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य है।"

राजभाषा विभाग के उक्त परामर्श को इस कार्यालय के प्रासांगिक पत्र द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि चूकि सिपाही को कर्तव्य संपादन के कम में टिप्पणी लिखना, प्रारूप तैयार करना तथा रिपोर्ट आदि तैयार करने की आवश्यकता नहीं पडती है। अतः इनके लिए **हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा** पास करना अनिवार्य नहीं है, परन्तु वैसे सिपाही जो मैट्रिक/मध्यमा या समकक्ष उतीर्ण नहीं हैं उन्हे **हिन्दी लिखने–पढने की योग्यता परीक्षा** पास करना अनिवार्य है।

यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो सिपाही हिन्दी विषय के साथ मैट्रिक/मध्यमा या समकक्ष उतीर्ण हैं, उनकी सम्पुष्टि, वेतन वृद्धि या वित्तीय उन्नयन का लाभ हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा से प्रभावित नहीं होगा। परन्तु अगली पंक्ति में प्रोन्नत के पूर्व उन्हे **हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा** पास करना अनिवार्य होगा। अतः ऐसे सिपाहियों के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि अगली पंक्ति में प्रोन्नति के पूर्व इस परीक्षा में सम्मिलित होकर उतीर्णता प्राप्त कर लें। नन मैट्रिक सिपाही एवं हवलदार के लिए **हिन्दी लिखने–पढने की योग्यता परीक्षा** पास करना अनिवार्य है।

कृपया इस पत्र को सभी पुलिस केन्द्रों में सूचना पट पर लगाया जाय।

15/06/2019

अपर पुलिस महानिदेशक(मुख्यालय)
बिहार, पटना।